

7/38



उत्तर प्रदेश



PHOTO ATTACHED

Signature of K. Jain
Meerut



PHOTO ATTACHED

Signature of K. Jain
Meerut



विक्रय चित्र

- विक्रय मूल्य 3,26,508/- रुपये
- विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- निम्न भूमि उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा अकृषिक प्रयोजनार्थ घोषित की जा चुकी है। अतः आवासीय निर्धारित दर 2000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 22,890/- रुपये संलग्न स्टाम्प अंकन 23,000/- रुपये

91
मो. 91



5
9244 326 8001

परी ५-६ बच्चे दिन के दोपहर को। आ निमेषक सरावण ईस

११
कौशिक

गैर सनका प्राप्त कलकत्ता अथवा श्री

जे स्वयंवर किया ————— पति २२/१२/२०००

1000000

श्रीराम

S.R.
720

~~Signature~~
~~LA~~
2-2-0



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय पत्र ओर से श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री राजकुमार निवासी ग्राम
जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ -----प्रथम पक्ष
(विक्रेता)

एवं

M/s. Fenny Real Estate Private Ltd. 11/A, Scheme No. 54, apposite
Satya Sai School, Vijay Nagar Indore (M.P.) through authorised
signatory Shri Rajendra Sharma S/o. late Shri C.B. Sharma R/o.
163A/1 Shad Nagar, Palam Colony, New Delhi 45 द्वितीय पक्ष (क्रेता)

जो कि भूमि खाता संख्या 00512 के खसरा नम्बर 1570/1 मि0, रकबा
0.0130 हे0 शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य हैक्टेयर, स्थित ग्राम
जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष
व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष
विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि
से उच्छ्रित है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम

कौशल्या


2




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि में अन्य कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 3,26,508/- तीन लाख छब्बीस हजार पाँच सौ आठ रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त

मोहरी



3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

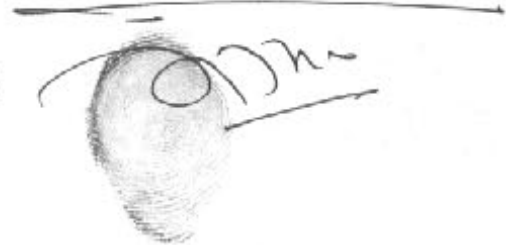


वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 3,26,508/- तीन लाख छब्बीस हजार पांच सौ आठ रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते M/s. Fenny Real Estate Private Ltd. 11/A, Scheme No. 54, apposite Satya Sai School, Vijay Nagar Indore (M.P.) through authorised signatory Shri Rajendra Sharma S/o. late Shri C.B. Sharma R/o. 163A/1 Shad Nagar, Palam Colony, New Delhi 45 को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य नकद रजिस्ट्री के समय प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से निम्नानुसार प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं

और शर्त



4





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



D 995510

मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से प्राबन्ध रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख

महाराजा

5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



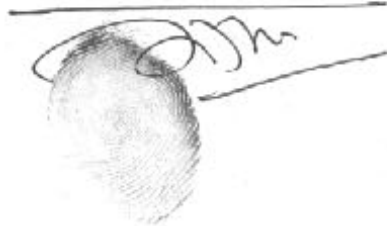
D 995511

करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उसके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ नहीं है।

दिनांक: 1.07.2008 (सात जौलाई सन दो हजार आठ ई०)

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ



11
लिखित रूप में
सात जौलाई सन
दो हजार आठ ई०
मेरठ

11
Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 995512

नजरी नक्शा (Not to be scaled)



अधिकृत
श्रीमि राजेश्वरी

उत्तर



विक्रित भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क
2. आवासीय/वाणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक
3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज
5. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/बस अड्डा
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय
8. अन्य

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

श्रीमि राजेश्वरी



हस्ताक्षर क्रेता



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता श्रीमती कोशल्या देवी राजकुमार निशाम अहिर
पराम्परा देवालय 21E सरस्वती (मेडा)
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



क्रेता का नाम व पता राजेंद्र कर्मा पुत्र स्व-श्री श्री-श्री रामो प्ल 165A/1, छााद
नगर पालम बालोनी - 13 दिल्ली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



कोशल्या


राजेंद्र कर्मा

राजेंद्र कर्मा



आज दिनांक - 21/7/67
प्रति पुस्तक संख्या - 2 - खण्ड - 10/10/0
के प्रवृत्ति 338 पर क्रम संख्या -
पर संशोधित किया गया । 7/3/67
[Signature]
संरक्षक